(38)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

**समक्षः— श्री एस0एस0 अली**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निगरानी 355—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—2—2013 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 17/स्व0निगरानी/2005—06.

———

हरभजन पुत्र श्री कन्हैया गडरिया
निवासी ग्राम चक बडेरा तहसील
चन्देरी जिला अशोकनगर म0प्र0

——— आवेदक

**विरूद्ध**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर जिला अशोकनगर ———अनावेदक

.....

श्री पी0 के0 तिवारी एवं टी0सी0 नरवरिया अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री राजीव गौतम

## आदेश

(आज दिनांक 22/12/16 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 17/स्व0 निगरानी/2005—06. में पारित आदेश दिनांक 22.02.13 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के हित में नायब तहसीलदार तहसील परगना चंदेरी द्वारा प्रकरण कमांक 8/1993—94/अ—19 के माध्यम से जारी पटट्ा दिनांक 19.6.94 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु इस आधार पर सूचना पत्र जारी किया कि ग्राम दिनौला की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 299 रकवा 0.679 है0 सर्वे कमंक 177 रकवा 0.167 है0 सर्वे कमांक 183/1 रकवा 3.051 है0 भूमि का पटट्ा आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों

द्वारा अवैध रूप से बिना कानूनी प्रकिया का पालन किये अपने हक में नायब तहसीलदार से जारी करा लिया गया है। आवेदक को जरिये संमस से सूचना दी गई । आवेदक उपस्थित होकर न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर के समक्ष स्वमेव निगरानी के प्रति एवं अन्य दस्तावेजों की मांग की गई लेकिन कलेक्टर न्यायालय जिला अशोकनगर द्वारा बिना दस्तावेज एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ग्राम दिनौला की शासकीय भूमि सर्वे कमांक 183/1 रकवा 3.051 है0 भूमि का पटट्ा दिनांक 22.2.13 को निरस्त कर दिया गया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व हैं विचारण न्यायालय विधिवत प्रकिया का पालन करते हुये आवेदक का ग्राम दिनौला स्थित प्रश्नधीन भूमि सर्वे 183/1 रकवा 3.051 है0 में से अंश रकवा 0.961 है0 भूमि का आवंटन दिनांक 19.6.94 को किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने से पूर्व आवेदक को स्वमेव निगरानी में उठाये गये बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। यह भी कहा गया है कि विचारण न्यायालय के आदेश को स्वमेव निगरानी में लिये जाने के पूर्व कारण बताओ सूचना पत्र नहीं दिया गया जबकि विवादित आदेश में सूचना पत्र का जबाव न दिये जाने का लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनियमितता के संबंध में स्पष्ट नहीं किया है। यह तर्क भी दिया गया है कि इस प्रकरण में कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा 18 वर्ष से अधिक समय उपरांत प्रकरण को स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन को शून्य घोषित किया गया है जो अवैधानिक है क्यों कि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुकत समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है। अतः अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला अशोकनगर का आदेश दिनांक 22.2.13 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि जिला कलेक्टर अशोकनगर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह विधि प्रावधानों के अनुसार उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उनके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। तथा प्रकरण में सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के इस आदेश को कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा लगभग 11 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में लिया गया है तथा 18 वर्ष उपरांत निरस्त किया गया है । प्रश्नाधीन भूमि सर्वे न0 299 रकवा 0.679 है0 रकवा 0.167 है0 183/1 रकवा 3.051 है0 0. 500 है0 से अधिका बडा भू –भाग है जो ग्राम के स्वच्छ भूमिहीन कृषि श्रमकों को भूमि बंटन की सामान्य प्रकिया के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्राथमिका के आधार किया जा सकता है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में निर्दिष्ट प्रकिया के विरूद्व मनमानी कार्यवाही की जाकर आवेदक को लाभ पहुंचाने की नियत से भूमि आबंटित की गई थी, जो कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.2.13 द्वारा निरस्त की गई है लेकिन आवेदक अधिवक्ता के तर्क में यह बल मिलता है कि आवेदक कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित हुआ था लेकिन उसको स्वमेव निगरानी की प्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रदाय नहीं किये गये थे और न ही उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उसको मात्र संमन्स से सूचना प्राप्त हुई थी जिससे वह कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित हुआ। आवेदक को अपना पक्ष समर्थन रखने का अवसर नहीं दिया गया और न ही उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला अशोकनगर का प्रकरण कमांक 17/स्वमेव निगरानी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 22.2.13 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुये पुनः आदेश पारित करें।

**(एस0 एस0 अली)**
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर